राजस्थान सरकार निदेशालय
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान परम्परागत
संस्कृत परीक्षा छात्रवृत्ति

राजस्थान सरकार द्वारा चालू वर्ष से राजस्थान के समस्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु निम्नलिखित दो प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं स्वीकार की गई हैं–

(1) परम्परागत संस्कृत परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

(2) परम्परागत संस्कृत मुख्य विषयों की उत्पत्ति (प्रोडेक्ट) छात्रवृत्ति योजना।

(1) परम्परागत संस्कृत परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

(1) उद्देश्यः– इस योजना का उद्देश्य संस्कृत भाषा के केवल साहित्य,व्याकरण एवं ज्योतिष विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों को उच्चतम योग्यतांक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(2) क्षेत्रः–ये छात्रवृत्तियां राजस्थान के राजकीय अराजकीय संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को ही देय होगी।

(3) पात्रता शर्तः–

(1) ये छात्रवृत्तियां उपाध्याय,शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं में अध्ययन करने वाले उन्ही छात्रों को देय होगी जो साहित्य,व्याकरण अथवा ज्योतिष मुख्य विषय लेकर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हों।

(2) इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वे ही छात्र आवेदन के पात्र होगे जिन्होने उस कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पूर्व परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की होगी।

(3) नवीन (फ्रेस) छात्रवृत्ति प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रवेश वर्ष में स्वीकार्य होगी।

(4) छात्रवृत्तियों की संख्याः– इन छात्रवृत्तियों की स्तरवार संख्या निम्नांकित होगीः–

क्र. सं.	मुख्य विषय	छात्रवृति संख्या			कुल योग
		उपाध्याय	शास्त्री आचार्य		
1.	व्याकरण	18	10	5	33
2.	साहित्य	25	15	7	47
3.	ज्योतिष	12	7	3	22
योग		55	32	15	102

(5) नवीनीकरणः– शास्त्री एवं आचार्य प्रथम वर्ष में उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को उत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति का नवीनीकरण शास्त्री द्वितीय तथा तृतीय वर्ष एवं आचार्य द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रहने की दशा में ही होगा एवं उन्हें पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) छात्रवृत्ति की अवधिः– ये छात्रवृत्तियां प्रत्येक शिक्षा सत्र में जुलाई से अप्रेल तक (दस माह के लिए) ही देय होगी।

(7) छात्रवृत्ति की दरें – छात्रवृत्ति की दरें निम्नलिखित प्रकार से होंगीः–

क्र.सं.	स्तर	दर

1.	उपाध्याय (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	30.00 रू. प्रतिमाह (दस माह के लिये)
2.	शास्त्री (शास्त्री त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	60.00 रू. प्रतिमाह (दस माह के लिये)
3.	आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	100.00 रू.प्रतिमाह (बीस माह के लिये)

(8) आवेदन की प्रक्रियाः–

(1) निदेशालय द्वारा उक्त योजना की अधिसूचना राज्य की समस्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं को प्रसारित की जावेगी। अभ्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक कागजातों के साथ निर्धारित प्रपत्र पर यथा समय अपने संस्था प्रधान के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा।

(2) छात्रवृत्ति आवेदन हेतु निम्नांकित प्रमाण–पत्र दिये जाने अपेक्षित है।

(1) नवीन (फ्रेस) छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र।

(2) संस्था प्रधान द्वारा संस्था प्रवेश प्रमाणीकरण तथा अध्ययन प्रगति संबंधी टिप्पणी।

(3) पूर्वोत्तीर्ण योग्यता परीक्षा की प्राप्तांक सूची की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि

(9) अभ्यार्थियों का चयनः– उक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन संस्था प्रधान के माध्यम से प्राप्त होने पर प्राप्तांकों के आधार पर उनकी विषयवार योग्यता सूची बनाई जावेगी तथा प्रत्येक विषय की सूची में प्राप्त योग्यता क्रम से अभ्यार्थियों का चयन नये सिरे से छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु किया जावेगा।

(10) भुगतानः– छात्रवृत्ति का भुगतान निदेशालय द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधानों के माध्यम से छात्रों को किया जायेगा।

(11) छात्रवृत्ति स्वीकृति की अन्य शर्तेः–

1–छात्रवृत्ति की राशि छात्र की प्रगति,आचरण एवं उपस्थिति के संतोजनक होने पर ही देय होगी।

2–यदि किसी छात्र द्वारा असत्य तथ्य प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करना पाया गया तो छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि निरस्त कर दी जायेगी तथा भुगतान की हुई राशि उससे वापस ली जावेगी।

(राजाज्ञा संख्या एफ5(2)शिक्षा–5/79 दिनांक 12.2.80 द्वारा अनुमोदित)

(2) परम्परागत संस्कृत मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति(प्रोडेक्ट)छात्रवृत्ति योजना सम्बन्धी नियम–

(1) उद्देश्यः– इस योजना का उद्देश्य संस्कृत वाड्.मय की उन विभिन्न शास्त्रीय मुख्य शाखाओं में अध्ययनार्थियों को अधिकाधिक संख्याओं में उत्पन्न करना है जिनका अध्ययन लोकप्रिय नहीं है तथा जिनके छात्र संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है।
(2) क्षेत्रः– ये छात्रवृत्तियां राजस्थान के राजकीय/अराजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को देय होगी।

3– पात्रता की शर्तेः–

(1) ये छात्रवृत्तियां केवल राजस्थान के संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रो को देय होंगी।
(2) ये छात्रवृत्तियां उपाध्याय/शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को ही देय होंगी।
(3) इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वे ही अध्ययनरत छात्र आवेदन के पात्र होगे जिन्होंने उस कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी पूर्व परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक अधिगत किये होंगे।
(4) नवीन(फ्रेस) छात्रवृत्ति प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रवेश वर्ष में स्वीकार्य होगी।

4– छात्रवृत्ति कि संख्याः– इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी–

क्र. सं.	मुख्य विषय	छात्रवृत्ति की संख्या			कुल योग
		उपाध्याय	शास्त्री	आचार्य	
1.	ऋग्वेद	3	2	1	6
2.	यजुर्वेद	3	2	1	6
3.	सामवेद	3	2	1	6
4.	अथर्ववेद	3	2	1	6
5.	सामान्य दर्शन	3	2	1	6
6.	वेदान्त	3	2	1	6
7.	मीमांसा	3	2	1	6
8.	न्याय	3	2	1	6
9.	जैन दर्शन	3	2	1	6
10.	बौद्ध दर्शन	3	2	1	6
11.	निम्बार्क दर्शन	3	2	1	6
12.	बल्लभ दर्शन	3	2	1	6
13.	पौरोहित्य	3	2	1	6
14.	धर्मशास्त्र	3	2	1	6
15.	पुराणेतिहास	3	2	1	6
	योग	45	30	15	90

5– नवीनीकरणः– शास्त्री एवं आचार्य प्रथम वर्ष में उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों

की उत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति या नवीनीकरण शास्त्री द्वितीय तथा तृतीय वर्ष एवं आचार्य द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रहने की दशा में ही होगा तथा पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– छात्रवृत्ति की अवधिः– यह छात्रवृत्ति प्रत्येक शिक्षा सत्र में जुलाई से अप्रेल तक (10 माह के लिए) ही देय होगी।

7– छात्रवृत्ति की दरें :– छात्रवृत्ति की दरें निम्नलिखित प्रकार से होंगीः

क्र.सं.	स्तर	दर
1.	उपाध्याय (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	30.00 रू. प्रतिमाह (दस माह के लिये)
2.	शास्त्री (शास्त्री त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	60.00 रू. प्रतिमाह (दस माह के लिये)
3.	आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	100.00 रू.प्रतिमाह (बीस माह के लिये)

8– आवेदन प्रक्रियाः–

(1) निदेशालय द्वारा उक्त योजना की अधिसूचना राज्य की समस्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं को प्रसारित की जावेगी। अभ्यार्थियों को अपना आवेदन समस्त आवश्यक कागजातों के साथ निर्धारित प्रपत्र पर यथा समय अपने संस्था प्रधान के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा।

(2) छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्र संलग्न किये जाने अपेक्षित हैं

1. नवीन(फ्रेस) छात्रवृतियां छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु पूर्ण भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र ।
2. संस्था प्रधान द्वारा संस्था प्रवेश प्रमाणीकरण तथा अध्ययन प्रगति संबंधी टिप्पणी
3. पूर्वोत्तीर्ण योग्यता परीक्षा की प्राप्तांक सूची की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि ।

9– अभ्यर्थियों का चयन :– उक्त छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से प्राप्त होने पर प्राप्तांकों के आधार पर उनकी विषयवार योग्यता सूची बनाई जावेगी । तथा प्रत्येक विषय की सूची में उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाले उपाध्याय के 3 शास्त्री के 2 एवं आचार्य स्तर पर एक अभ्यर्थी के नये सिरे से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी ।

(3) अनुसंधान (शोध) छात्रवृत्ति :– अनुसंधान(शोध) छात्रवृत्तियों की संख्या केवल दो है । यह उन्ही छात्रों को देय होगी जो राजस्थान विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि (पी. एच.डी.) तथा विद्यावाचस्पति (डी–लिट्.) के लिये पंजीकृत होगें । इस छात्रवृत्ति की दर 200/– रूपये मासिक होगी तथा उक्त शोध परीक्षाओं के लिये पंजीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा अधिस्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर उच्चतम योग्यताओं वाले दो अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगी ।